मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 20, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-03-15-2012-1 पांच (09), दिनांक 31 मार्च, 2012, तथा

(ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-ए-03-14-2012-1-पांच (16), दिनांक 3 अप्रैल, 2012,

(ii) क्रमांक एफ-ए-03-29-2011-1-पांच (25), दिनांक 8 मई, 2012, तथा

(iii) क्रमांक एफ-ए-03-50-2012-1-पांच (41), दिनांक 31 अक्टूबर, 2012,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 का वार्षिक लेखा पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बिसाहूलाल सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, रामनिवास रावत, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम निगवानी के उप सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह, सुखदेव पांसे, बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश के शिक्षाकर्मियों द्वारा सामूहिक हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के वीरपुर थाना प्रभारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम इन्दरगढ़ स्थित आदिवासियों को पट्टे पर दी गई भूमि का अवैध विक्रय किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 167-शाजापुर से निर्वाचित सदस्य, श्री हुकुम सिंह कराड़ा को विधान सभा के दिसम्बर, 2012 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अलकेश आर्य, सभापति, याचिका समिति का बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां, पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उन्तीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के –

(क) ओरछा से चन्द्रपुरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) ओरछा की घुरारी नदी पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने, तथा

(ग) ग्राम जिरोंन में कन्या विद्यालय खोले जाने,

(2) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के –

(क) ग्राम छितीपुर से कुर्रोल के बीच रपटा निर्माण कराये जाने,

(ख) करेरा आर.बी.सी. डिविजन में माईनरों पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम दिनारा में हैण्ड पंप खनन किये जाने,,

(घ) करेरा क्षेत्र के ग्राम बिल्हारी, सनाई आदि ग्रामों में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा

(ड.) ग्राम सिरसौद में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(3) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम महतैन के शा. मा. वि. का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम महकोना के शा. मा. वि. का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम भुलनी से कचनार के बीच स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम खम्हरिया से तुर्री के बीच नाले पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,तथा

(ड.) सोहावल की सेमरावल नदी चकराघाट तुर्री में स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के-

(क) ग्राम सुमरेरा से व्हाया पोलाहित सहराना तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम निमोदामठ में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,तथा

(ग) ग्राम बरोली रोड से कतरीपुरा तक मार्ग निर्माण किये जाने,

(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के-

(क) सनावद नगर से शीतलामाता मंदिर पीरानपीर दरगाह तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा

(ख) ग्राम रूपखेड़ा घोसला, बासवा आदि ग्रामों के नालों पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के ग्रामझिरना में शासकीय हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(7) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, भोपाल शहर के शासकीय आवास क्र.74/1 से 74/12 तक सा. टी.टी. नगर में नाली निर्माण किये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 26 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, संस्कृति मंत्री, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (क्रमांक 35 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 36 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 37 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री गौरी शंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

8. वर्ष 2012-2013 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चार हजार नौ सौ दस करोड़, तीन लाख, तीस हजार, सात सौ बावन रूपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

2 घन्टे 30 मि.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2012 (क्रमांक 33 सन् 2012) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री द्वारा किया गया प्रस्ताव कि "न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 30 सन् 2012) पर विचार किया जाय.". **चर्चा का पुनर्ग्रहण.**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 32 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 34 सन्, 2012) पर विचार किया जाय.

30 मि.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 दिसम्बर, 2012

*** अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.**